कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

कमांक / बैठक / 2012 / 482 दिनांक :: 10 दिसम्बर, 2012

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 7 दिसम्बर, 2012 को अपरान्ह 4.30 बजे श्री हरजी लाल अटल, कार्यवाहक आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों / अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लियेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 30 नवम्बर, 2012 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

बैठक में गत बैठक दिनांक 30 नवम्बर, 2012 का जारी कार्यवाही विवरण बैठक में अनुमोदन हेतु बैठक में प्रस्तुत किया गया। बैठक में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: सुगम यातायात के संबंध में अनुमोदित कार्य योजना के कियान्वयन के संबंध में।

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 19 नवम्बर, 2012 को जयपुर में हुई गत बैठक में सुगम यातायात की दृष्टि से तैयार की गयी कार्य योजना के अनुसार शीघ्र कियान्विती के निर्देश प्रदान किये गये थे। उक्त कार्य योजना अनुसार नगर निगम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, यातायात पुलिस आदि विभागों द्वारा समुचित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। बैठक में कार्य योजना के विभिन्न बिन्दुओं के कियान्वयन के संबंध में हुई प्रगति पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। गत बैठक में दिये गये निर्देशानुसार पी.ई.आर.टी. चार्ट (PERT Chart) प्रस्तुत नहीं किये जाने को गम्भीरता से लेते हुए निर्देश दिये गये कि आगामी 3 दिवस में प्रस्तावित कार्यों के संबंध में कियान्वयन की मोनेटरिंग के लिए समय तालिका एवं पी.ई.आर.टी. चार्ट तैयार कर प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 :: शहर के प्रमुख सडक मार्गों के नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण के संबंध में।

बैठक में उक्त कार्य योजना अनुसार शहर के प्रमुख सडक मार्गों के सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं मरम्मत के संबंध में वर्तमान प्रगति बाबत विस्तृत विचार विमर्श किया गया। नगर निगम द्वारा 48 कार्य 17.49 करोड रूपये की लागत से प्रारम्भ किये जा चुके हैं एवं चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड क्षेत्र में 6.00 करोड रूपये की लागत से प्रमुख सडकों का नवीनीकरण किये जाने के लिए निविदा आमंत्रित कर ली गयी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम ने बताया कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर निगम को उपलब्ध कराये जाने वाली 10.00 करोड रूपये की राशि आदिनांक तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है। बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस संबंध में आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल को अर्द्ध शासकीय पत्र द्वारा जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड के प्रस्ताव के संबंध में अवगत कराते हुए शीघ्र राशि जारी (रिलीज) करने के लिए अनुरोध करें। इसी प्रकार अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बताया कि अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार उनके द्वारा शहर के प्रमुख सडक मार्गों के नवीनीकरण के लिए 42.00 करोड रूपये की लागत के कार्य कराये जाने के लिए निविदा आमंत्रित कर ली गयी है किन्तु राशि प्राप्त नहीं हुई है। बैठक में इस संबंध में प्रमुख

शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखे जाने का निर्देश दिय गये। सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 के नवीनीकरण का कार्य 12वीं रोड चौराहा से आदिनांक तक प्रारम्भ नहीं किया गया तथा विभाग की ओर से कोई प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ है। विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि कार्य प्रारम्भ करने में देरी का कार्य अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग से पूछा जावे और निर्देश दिये जावे कि आगामी बैठक से पूर्व उक्त कार्य प्रारम्भ कर दिया जावे।

गत बैठक में दिये गये निर्देशानुसार नगर निगम एवं प्राधिकरण द्वारा प्रमुख सडकों के क्षतिग्रस्त डिवाईडर व जालियों की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम ने बताया कि गौराधाय छतरी से पुरी तिराहा तक डिवाईडर में लगी जालियों की मरम्मत व रंग रोगन का कार्य कर दिया गया है। बैठक में यातायात में बाधक विद्युत व टेलीफोन के खम्भों, ट्रांसफार्मरों तथा पेडों की सूची उपायुक्त पुलिस यातायात द्वारा प्रस्तुत की गयी। विचार विमर्श के उपरान्त निम्न अनुसार निर्णय लिये गये:–

1– यातायात में बाधक विभिन्न पेडों को हटवाने/टहनियां कटवाने आदि का कार्य नगर निगम द्वारा आगामी बैठक से पूर्व किया जावे।

2– यातायात में बाधक बिजली व टेलीफोन के खम्भे व ट्रांसफार्मरों को उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट किये जाने के लिए अधीक्षण अभियन्ता–शहर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं उप महाप्रबन्धक, भारतीय दूर संचार निगम लिमिटेड, जोधपुर को लिखा जावे। उप महाप्रबन्धक, भारतीय दूर संचार निगम लिमिटेड, जोधपुर को यह भी लिखा जावे कि आगामी यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक (प्रत्येक शुक्रवार को सांय 4.30 बजे) वे स्वयं या उनका सक्षम प्रतिनिधि पालना रिपोर्ट सहित बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित रहें।

3– पुरी तिराहा से जालोरीगेट तक लोहे के डिवाईडर बनाने की आवश्यकता के संबंध में उपायुक्त पुलिस यातायात की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव पर अधिशाषी अभियन्ता–शहर, सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देश दिये कि प्रस्ताव के संबंध में तकमीना व तकनीकी रिपोर्ट तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

4– इसी प्रकार पावटा चौराहा से कृषि मण्डी चौराहा तक सडक के मध्य लोहे की जाली के डिवाईडर लगाने के लिए भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त सडक मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीन आता है। अतः अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग को आगामी बैठक में प्रस्ताव के संबंध में तकनीकी परीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के लिए लिखा जावे।

5– जंक्शन इम्प्रुवमेंट एवं स्लीप लैन सुधार प्रस्तावित किये जाने के लिए प्राथमिकता से 3 स्थान यथा 1–आखलिया चौराहा, 2–पी.डब्ल्यू.डी. ऑफिस चौराहा एवं 3–पाल लिंक रोड तिराहा (खेडापति बालाजी के पास) चिन्हित करना निदेशक–अभियांत्रिकी, प्राधिकरण ने बताया है। विचार विमर्श के उपरान्त निर्देश दिये कि उक्त जंक्शन इम्प्रुवमेंट एवं स्लीप लैन बनाये जाने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर निविदा जारी करने की कार्यवाही प्रारम्भ करें।

प्रस्ताव संख्या 4 :: वर्षा जल निकासी व सीवरेज प्रणाली के सृदढीकरण बाबत।

रोड साईड ड्रैनेज एवं वर्षा जल निकासी के संबंध में चिन्हित स्थानों पर उत्पन्न होने वाली समस्या के स्थायी निवारण की दृष्टि से कार्य योजना पर विचार किया गया। निदेशक–अभियांत्रिकी ने बताया कि मथुरादास माथुर अस्पताल के बाहर नाला निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं शेष चिन्हित स्थानों पर कार्य प्रारम्भ करने के लिए निविदा कार्यवाही प्रकियाधीन है। बैठक में विचार विमर्श कर अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम व

निदेशक–अभियांत्रिकी को निर्देश प्रदान किये गये कि चिन्हित जल भराव वाले स्थानों के स्थायी उपचार की दृष्टि से कार्य प्रारम्भ कराया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 :: यातायात संकेतकों की स्थापना व कियान्वयन के संबंध में।

बैठक में अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत ने अवगत कराया कि शहर में स्थापित की गयी ट्राफिक सिग्नल प्रणाली सभी 16 स्थानों पर सुचारू रूप से कार्य कर रही है। गत बैठक में दिये गये निर्देशानुसार नई सडक चौराहा पर यातायात नियंत्रण व ट्राफिक संकेत प्रणाली को सी.सी. टी.वी. कैमरे से जोडकर ई–चालान व्यवस्था तैयार करने के लिए सर्वे व अध्ययन कर लिया गया है एवं इस संबंध में येाजना तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत कर दी जावेगी।

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निर्देश दिये कि आगामी बैठक में आवश्यक रूप से अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत सार्वजनिक निर्माण विभाग उक्त कार्य के लिए परिपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 6 :: वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के संबंध में।

बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम ने अवगत कराया कि पार्किंग स्थलों की सफाई, लाईनिंग व मरम्मत कार्य कराये जाने के लिए नगर निगम द्वारा वार्षिक अनुबंध के लिए निविदा आमंत्रित कराने का निर्णय लिया गया है। अतः यातायात पुलिस पार्किंग स्थल वार आवश्यक कार्यों की सूची नगर निगम को उपलब्ध करायें। बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निर्देश दिये कि यातायात पुलिस पार्किंग के लिए लगायी गयी लाईनिंग के बाहर मुख्य सडकों पर वाहन खडा पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार सीज व चालान संबंधी कार्यवाही निरन्तर चालू रखें। यातायात पुलिस के उडनदस्तों द्वारा की गयी कार्यवाही की मोनेटरिंग अतिरिक्त पुलिस आयुक्त व सहायक आयुक्त पुलिस के स्तर पर की जावे। उक्त पार्किंग स्थलों के अतिरिक्त नवीन स्थान वाहनों की पार्किंग के लिए चिन्हित कर रिपोर्ट पेश किये जाने के निर्देश यातायात पुलिस को दिये गये। बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय भी लिया गया कि चिन्हित पार्किंग स्थलों पर पार्किंग व्यवस्था के संचालन व रखरखाव के लिए ठेका किये जाने पर नगर निगम द्वारा विचार किया जावे ताकि वाहनों की अवैध पार्किंग पर अंकुश लगाया जा सके।

बैठक में अवगत कराया गया कि जोधपुर भोपालगढ मार्ग बस एसोसिएशन, जोधपुर नागौर मार्ग बस एसोसिएशन एवं जोधपुर मूण्डवा बस एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बोर्ड की गत बैठक दिनांक 19 नवम्बर, 2012 में जरिये प्रस्ताव संख्या 11 (2) में भोपालगढ रोड पर जाने वाली ग्रामीण मार्ग की बसों के लिए आमी तिराहे के पास दो बसों के ठहराव की अनुमति देने का निर्णय लिया गया, को संशोधित करते हुए 3 बसों के ठहराव की अनुमति जारी की जावे। बैठक में इस संबंध में विचार विमर्श कर गत बैठक दिनांक 19 नवम्बर, 2012 में जरिये प्रस्ताव संख्या 11 (2) में लिये गये निर्णय के कम में आर्मी तिराहे के पास 3 बसों (जोधपुर – भोपालगढ, जोधपुर–नागौर एवं जोधपुर–मूण्डवा मार्ग के लिए एक–एक बस) के ठहराव की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: वाहन प्रदूषण की जांच के संबंध में।

बैठक में वाहन प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरूद्ध यातायात पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही पर विचार विमर्श किया गया। यातायात पुलिस की ओर से प्रदूषण जांच केन्द्र स्थायी रूप से प्रमुख जगहों पर परिवहन विभाग के माध्यम से संचालित किये जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विचार विमर्श के उपरान्त निम्न अनुसार निर्णय लिया गयाः–

1– नई सडक चौराहा, पावटा चौराहा, आखलिया चौराहा व रेलवे स्टेशन के बाहर परिवहन विभाग द्वारा प्रदूषण जांच मशीन स्थापित करायी जावे। उक्त जांच मशीन पर प्रदूषण जांच का कार्य यातायात पुलिस व परिवहन विभाग के कार्मिकों द्वारा संयुक्त रूप से किया जावे।

2– परिवहन विभाग द्वारा प्रदूषण जांच केन्द्र स्कीम, 2005 के तहत अधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र का नियमित निरीक्षण कर मापदण्डानुसार जांच केन्द्रों का संचालन सुनिश्चित करें। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि माह नवम्बर, 2012 में मैसर्स गहलोत सर्विस सेंटर, मैसर्स दल्ले खां एण्ड सन्स प्रतापनगर, मैसर्स राम पेट्रोल सर्विस महामंदिर, मैसर्स नरपत पेट्रोल सर्विस मण्डोर पर संचालित 4 प्रदूषण केन्द्रों के स्मोक मीटर, गैस एनालाईजर उपकरण बन्द पाये जाने के कारण लाईसेंस दिनांक 5 जनवरी, 2013 तक निलम्बित किये गये हैं।

3– प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरूद्ध यातायात पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा गठित 4 टीमों द्वारा संयुक्त चैकिंग चलाना निरन्तर रखा जावे। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 1 अगस्त, 2012 से 7 दिसम्बर, 2012 तक 1268 वाहनों की जांच कर 523 वाहनों को सीज किया गया है। प्रदूषण फैलाने वाले 62 वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है।

प्रस्ताव संख्या 8 :: प्रमुख सडक मार्गों पर आवारा पशुओं की आवाजाही को नियंत्रित किये जाने के संबंध में।

बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम ने अवगत कराया कि गत बैठक में हुए विचार विमर्श के अनुसार आवारा पशु पकडे जाने के लिए रात्रिकालीन गैंग का भी गठन किया गया है। आवारा पशु पकडे जाने के लिए गठित की गयी टीमें अलग अलग पारियों में प्रातः 6.00 बजे से कार्य कर रही है। बैठक में अवगत कराया गया कि दिनांक 1 दिसम्बर, 2012 से 7 दिसम्बर, 2012 तक विभिन्न स्थानों से कुल 82 तथा रात्रिकालीन गैंग द्वारा 57 पशु पकडे गये। बैठक में बाद विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपरोक्त कार्यवाही निरन्तर चालू रखी जावे।

प्रस्ताव संख्या 9 :: सडक मार्ग, फुटपाथ, बरामदों में बाधक निर्माण हटाने एवं पार्किंग के लिए छोडी गयी जगह का समुचित उपयोग सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

बैठक में पार्किंग के लिए निर्धारित स्थानों का अन्यथा उपयोग करने व पार्किंग का प्रावधान नहीं रखने वाले बहुमंजिले भवनों के चिन्हिकरण का कार्य किये जाने का निर्देश गत बैठक में दिये गये। मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम ने अवगत कराया कि इस संबंध में निगम के स्तर पर चिन्हिकरण कर लिया गया है। इसके साथ ही उपायुक्त पुलिस यातायात के द्वारा भी मुख्य शहर में स्थित 63 बहुमंजिले भवनों की सूची प्रस्तुत की है। जिनमें पार्किंग के लिए व्यवस्था नहीं है। उक्त सूची के अनुसार स्वीकृत पार्किंग वाले भवनों जिनमें पार्किंग के लिए निर्धारित जगह का अन्यथा उपयोग किया जा रहा है, के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है तथा व्यस्त सडक मार्गों पर स्थित ऐसे सभी स्थानों का चिन्हीकरण भी कर लिया गया है जहां पार्किंग के लिए निर्धारित जगहों को रैम्प बनाया जाकर पार्किंग के रूप में काम में लिया जावेगा।

विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये गयेः–

1– आगामी बैठक से पूर्व ऐसे भवन मालिकों व अतिकमियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर पार्किंग के लिए जगह उपलब्ध कराये जाने की सुनिश्चितता की जावे।

2– अधिशाषी अभियन्ता–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि रोटरी चौराहा से 12वीं रोड चौराहा तक सडक के किनारे बने नाले पर लगे फैरोकवर सही ढंग से

लगाये जाने का कार्य प्रगति पर है और अधिकांश हिस्से में उक्त कार्य पूर्ण हो चुका है। बैठक में निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक से पूर्व उक्त कार्य आवश्यक रूप से पूर्ण करवाया जावे।

3– आखलिया चौराहा से चौपासनी होते हुए जैसलमेर बाईपास पर जाने वाले सड़क मार्ग में निर्धारित चौडाई में आने वाले निर्माण/अतिक्रमणों को चिन्हिकृत कर हटाये जाने व अवाप्ति के प्रस्ताव पेश करने के लिए गत बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम व उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये गये थे। उक्त प्रस्ताव पेश नहीं किये गये। बैठक में विचार विमर्श कर निर्देश दिये कि शीघ्र इस संबंध में कार्यवाही कर रिपोर्ट पेश की जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांक/बैठक/2012/483-535 दिनांक :: 10 दिसम्बर, 2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर ।
2. महापौर, नगर निगम, जोधपुर।
3. जिला कलक्टर, जोधपुर।
4. श्री लूणकरण पुरोहित/श्री आर.एस. सलूजा, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
5. अतिरिक्त कलक्टर–शहर, जोधपुर
6. पुलिस उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय एवं यातायात/पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर।
7. निजी सचिव, अध्यक्ष/आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. रजिस्ट्रार, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
9. मण्डल प्रबन्धक, भारतीय दूर संचार निगम लिमिटेड, जोधपुर
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर।
11. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर।
13. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर।
14. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जोधपुर।
15. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर।
16. जिला रसद अधिकारी, जोधपुर
17. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर।
18. उप महाप्रबन्धक, भारतीय दूर संचार निगम लिमिटेड, जोधपुर
19. महाप्रबन्धक (प्रचालन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
20. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/जो. वि.वि.नि.लि, जोधपुर।
21. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, बोरानाडा/जोधपुर
22. उप आवासन आयुक्त–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
23. मुख्य नियंत्रक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
24. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर।
25. निदेशक अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि/वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
26. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
27. कमाण्डर, 45 सीमा सडक कृतिक बल, जालम विलास, पावटा बी रोड, जोधपुर
28. अधिशाषी अभियन्ता–नगरवृत/विद्युत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
29. अधिशाषी अभियन्ता, ... (समस्त) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
30. नोडल अधिशाषी अभियन्ता ....
31. वरिष्ठ लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

32. उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
33. तहसीलदार, ... (समस्त), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
34. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
35. श्री नवीन माथुर, प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर / मैसर्स ओसवाल डाटा प्रोसेस, कार्यालय परिसर, जोधपुर को उक्त कार्यवाही विवरण का अंकन वेब–साईट पर करने हेतु प्रेषित है।
36. श्री जुगलकिशोर पंवार, सचिव, जोधपुर ट्यूरिस्ट बस ऑनर्स एसोसिएशन, जोधपुर मण्डोर गार्ड के बाहर, जोधपुर / श्री हरिसिंह सोलंकी, सचिव, जोधपुर डिस्ट्रीक्ट बस ऑपरेटर एसोसिएशन, शक्तिनगर पावटा सी रोड, जोधपुर
37. --

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

परिशिष्ट–1

दिनांक 7 दिसम्बर, 2012 को अपरान्ह 4.30 बजे श्री हरजी लाल अटल, कार्यवाहक जोधपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पदनाम व विभाग
1.	श्री रामजीवन मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर
2.	श्री राजेन्द्रसिंह राठौड, अतिरिक्त कलक्टर–शहर, जोधपुर
3.	श्री हरी प्रसाद पिपरलिया, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर
4.	श्री करणीसिंह राठौड, सहायक आयुक्त पुलिस यातायात, जोधपुर
5.	श्री प्रेमचन्द चौहान, मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
6.	श्री वी.के. वर्मा, अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
7.	श्री एस.एल. सेठी, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8.	श्री एम.एस. रावल, निदेशक–अभियांत्रिक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9.	श्री संजीव माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, सिटी डिविजन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
10.	श्री जुगल किशोर पंवार, सचिव, जोधपुर ट्यूरिट बस ऑनर्स एसोसिएशन, जोधपुर